www.ghoonghatkibagawat.com ghoonghatkibagawat37@gmail.com ghoonghatkibagawat.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र)

वर्ष : 23 | अंक : 43 | गोरखपुर | 05 मई 2024 | पृष्ठ : 06 | मूल्य: 2/-

कोविशील्ड मामले में अधूरा सच

दिखाकर माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश

चुनाव के समय कोई ऐसा मुद्दा ढूढ़ लाइये जिससे लोग पैनिक हो और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए जबकि हम सब जानते है कि जो सच सोशल मिडिया पर परोसा जाता है वह हमेशा आधा होता है और राजनीति में तो सच को झूठ की तरह परोशने का शगल है। लगभग नब्बे करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड डोज लगी, दवाई में यदि तगड़ी दिक्कत या साइड इफेक्ट होता तो आधा भारत और आधी दुनिया हार्ट अटैक से ऊपर चली गई होती किन्तु 3 साल हो गए वैक्सीन लगे, भारत में मौत के आंकड़े बहुत मामूली है। यदि मौत के बाद साइड इफेक्ट की पुष्टि हुई भी होगी तो केवल उनमें जिनका शरीर इस दवा को एडाप्ट नहीं कर सका होगा किन्तु कुछ लोगो नें सरकार के खिलाफ चुनावी माहौल बनाने के लिए यह मुद्दा उछाल के लोगो को पैनिक कर दिया है। मुद्दा उछालने का है ना गजब की टाइमिंग है। जब हमें वैक्सीन नें बचा लिया तो अब कुछ लोग सोशल मिडिया पर कूद कूद कर मेहरबान हो गये है।एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन को जन्म देने वालों ने 2021 में ही अपने रिसर्च पेपर के द्वारा यह सूचना प्रेषित की थी कि इस वैक्सीन से थ्रोमबोसिस का बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है और कुछ समय बाद यह लगभग सत्यापित हुआ कि यह दस लाख लोगों में से किसी एक या दो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। जबकि मेडिकल एक्सपर्ट कहते है थ्रोमबोसिस अगर हो भी गया तो इससे मृत्यु की संभावना भी केवल 1% है। अर्थात् इस वैक्सीन को यदि दस करोड़ लोगों को दिया जाय तो चार या पांच व्यक्ति में मृत्यु की संभावना बनेगी। जबकि एक्सपर्ट कि माने तो कोरोना से मृत्यु की संभावना अपने आप 20-30% थी अर्थात् 100 संक्रमण में से 20-30 व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी । इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण बात सामने आयी वह यह कि कोरोना में जो मौतें हुई उसमें से बहुतों का कारण यहीं थ्रामबोसिस प्रचारित किया जा रहा जबकि खराब इम्युन तंत्र और प्रदूषण से शरीर की प्रतिरोधकता कम होने से ही जाने गई । अत: दस करोड़ में से घटने वाली दो चार घटनाओं से डरकर, उस पैनिक को आमंत्रण देना जिसमें घबराकर 100 में से पांच, दस लोगों की मृत्यु हो सकती है कहाँ का अच्छा कार्य है , जो स्पष्ट करता है की यह चुनावी लाभ लेने के लिए एक साजिश है। हालांकि कोविशिल्ड की जीवनरक्षक इफेक्टिविटी बाद में लगभग 90% साबित हुई। अत: अंध विरोध और चुनावी लाभ के चलते उस चीज का विरोध करना जिसने मानवता की इतनी बड़ी सेवा की, निकृष्टता है निर्लजता है । मेडिकल एक्सपर्ट बताते है कि ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांस्प्लांट के दौरान ही 5-10% मरीजों की मृत्यु कैंसर के बजाय केवल उस प्रक्रिया से हो जाती है बावजूद इसके पिछले चार दशक से यह बचाव की पहली चॉइस है। कभी किसी ने नहीं कहा कि यह इलाज लोगों को मार रहा है क्योंकि किसी भी दवा, इलाज और इंटरवेंशन को समग्रता से देखा जाता है। यह देखा जाता है कि इससे मानवता बच रही है या नहीं। इस हिसाब से मानवता को कोवीशील्ड के आविष्कारकों का ध न्यवाद देना चाहिए और बेमतलब के विवाद और राजनीति का हिस्सा नहीं बननें देना चाहिए था ।

कुछ लोगो को हाइपोथिसिस टेस्टिंग से कुछ लेना देना नहीं, एक्का दुक्का हार्ट अटैक को उदाहरण चल पड़े भेड़ चाल में । कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की बात हुई पर उसने करोड़ों जान बचाई है इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रहीं। वैक्सीन लेने वालों को कितना खतरा है इसे मेडिकल एनालिसिस के लिए छोड़ दीजिए, खुद एक्सपर्ट ना बने तो बेहतर। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि इससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया था। महामारी से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई। कोविड से बचाव के लिए कई देशों की सरकारों की तरफ से आनन फानन में लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गयी। दुनिया की कई कंपनियों ने कोविड वैक्सीन बनाया था। उन्हीं में से एक कंपनी एस्ट्राजेनेका थी। एस्ट्राजेनेका जिसने कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बनाए गए वैक्सीन से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इससे खून के थक्के जमने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत में 1 अरब 70 करोड़ डोजेज कोविशील्ड के लगाए गए। यूरोप में एक लाख में एक को खतरा, भारत में नुकसान नगण्य, भारत में कोविड के टीके का करीब 2 अरब 21 करोड़ डोजेज लोगों को लगाए गए हैं। भारत में 93 प्रतिशत लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोविड वैक्सीन को मॉनिटर करने वाली ऐप कोविन की डेटा के अनुसार खतरा के मामले 0.007% हैं। फिर आप पैनिक क्यों फैला रहें ! इन डोजेज में एक अरब सत्तर करोड़ डोजेज कॉविशील्ड के लगे। वहीं, दुनिया में एस्ट्रेजनेका के 2 अरब 50 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगाए गए। हाँ 2021 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 222 लोगों में एस्ट्रेजनेका की वजह से ब्लड क्लोटिंग की बात कही थी। मसलन उस वक्त एक लाख में एक को खतरा था। वो भी यूरोपीय देशों में। भारत की जानकारी में भी ब्लड क्लोटिंग की बात थी और नजर और निगरानी इस पर रखी गई, लेकिन फायदा का आंकड़ा बहुत बड़ा था और नुकसान नगण्य था तो आप सबसे गुजारिश है कृपया पैनिक ना हो और अफवाह ना फैलाये। **पंकज कुमार मिश्रा**

विवाह कामर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं

देश की सर्वोच्च अदालत ने हिन्दू विवाह को लेकर बड़ा फैसला देकर न केवल हिन्दू विवाह के संस्कारों एवं पारंपरिक रिवाजों को पुष्ट किया है बल्कि उन्हें कानूनी दृष्टि से आवश्यक स्वीकार किया है। आज जबकि हिन्दू विवाह की पवित्रता एवं परम्परा तथाकथित आधुनिक जीवन एवं प्रभाव के कारण धुंधली होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में हिन्दू विवाह की पवित्रता समाज में समय के साथ घटी है और उसमें सुधार एवं सुदृढ़ता की जरूरत है। जो लोग विवाह को मात्र एक पंजीकरण मानते हैं, उन्हें चेत जाना चाहिए। उन्हें सात फेरों का अर्थ समझना होगा। बिना सात फेरों, हिन्दू रीति-रिवाजों एवं वैवाहिक आयोजनों के कोर्ट की दृष्टि में भी विवाह मान्य नहीं होगा। हिंदू विवाह पर कोर्ट का ताजा फैसला न केवल स्वागतयोग्य है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगे। इससे हिन्दू संस्कृति एवं संस्कारों को बल मिलेगा। पारिवारिक-संस्था को मजबूती मिलेगी। हिंदू विवाह से जुड़ा यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी 'गाने और डांस', 'शराब पीने और खाने' का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर दहेज और गिफ्ट्स की मांग करने का मौका नहीं है। विवाह कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यह एक गंभीर बुनियादी सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजन है, जिसे एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध बनाने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक अच्छे परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। यह भारतीय हिन्दू समाज-व्यवस्था की एक बुनियादी इकाई एवं मजबूत सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयाम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिना सात फेरों के हिन्दू विवाह को मान्यता नहीं मिल सकती है अर्थात शादी के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में जो नियम और प्रावधान बनाए गए हैं उसका पालन करना होगा। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधि नियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। अधि नियम के अनुसार, एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जाएगा। समारोहों में सप्तपदी (दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) शामिल है, और जब वे सातवां चरण एक साथ लेते हैं तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। कुल मिलाकर हिन्दू विवाह एक संस्था है, संस्कार है और विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है।

कोर्ट ने जोर दिया है कि हिंदू विवाह की वैधता के लिए सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे) जैसे उचित संस्कार और उससे जुड़े समारोह जरूरी है। विवाद की स्थिति में समारोह के प्रमाण पेश करना जरूरी है। कोर्ट की सात फेरों और उससे जुड़े समारोह का मूल्य समझाने की यह कोशिश हिन्दू विवाह को न केवल मजबूती प्रदान करेंगी बल्कि आधुनिकता की आंधी में धुंध लाते मूल्यों को नियंत्रित करने का काम करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह संस्कार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है, अब विवाह बहुतों के लिए एक दिखावा, मजबूरी या समझौता भर रह गया है। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना ने अपने प्रासंगिक एवं उपयोगी फैसले में बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। पारंपरिक संस्कारों या सात फेरों जैसी रीतियों के बिना हुए विवाह को हिंदू विवाह अधि नियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। इस वजह से कोर्ट ने युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह किया हैं कि वो विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है, इस पर विचार करें।

प्रश्न है कि हिन्दू विवाह को लेकर कोर्ट को जागरूक होने एवं हिन्दू संस्कारों को मजबूती देने की जरूरत क्यों पड़ी? हिन्दू विवाह से जुड़े संस्कारों एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों को लेकर अनेक मामले कोर्ट की चौखट पर आते रहे हैं, हर बार कोर्ट सजगता, दूरदर्शिता एवं विवेक से विवाह-संस्था से जुड़े मामलों पर अपना नजरिया प्रस्तुत करती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले दिनों यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए कन्यादान का समारोह जरूरी नहीं है। उस फैसले में भी सप्तपदी के महत्व को दर्शाया गया था। मध्यप्रदेश की एक परिवार अदालत के फैसले में महिला पक्ष को यह समझाया गया था कि सिंदूर लगाना एक विवाहित हिंदू महिला का ध ार्मिक कर्तव्य होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में ऐसी ही समझाइश की कोशिश झलकती है। कुल मिलाकर, न्यायालय का संदेश यह है कि फिजूल के तमाशे-दिखावे से बचते हुए विवाह के मूल अर्थ को समझना चाहिए। हिंदू विवाह को लेकर अब ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है और विशेषत: हिन्दू संस्कारों एवं संस्कृति को बल देने की भी। क्योंकि भारत में परिवार संस्था कायम है तो इसका कारण हिन्दू संस्कार एवं परम्पराएं ही हैं।

इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। हिन्दू विवाह एक आदर्श परम्परा एवं संस्कार है। हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह = वि + वाह, अत: इसका शाब्दिक अर्थ है - विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी क बीच जन्म-जन्मांतरों का सम्बंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरे लेकर और ध्रूव तारा को साक्षी मान कर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। यह दो परिवारों का भी मिलन है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संम्बंध से अधिक आत्मिक संम्बंध होता है और इस सम्बंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिन्दू विवाह का न केवल पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि उसका गहन आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म ने चार पुरुषार्थ (जीवन की चार बुनियादी खोज), यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निर्धारित किया है। विवाह संस्कार का उद्देश्य 'काम' के पुरुषार्थ को पूरा करना और फिर धीरे-धीरे 'मोक्ष' की ओर बढ़ना है। एक पुरुष और महिला के जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजें शादी से जुड़ी होती हैं; उदाहरण के लिए, पुरुष और महिला के बीच प्यार, उनका रिश्ता, संतान, उनके माता-पिता, उनके जीवन में विभिन्न सुखद घटनाएं, सामाजिक स्थिति और समृद्धि। हिंदू समाज में एक विवाहित महिला को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसके माथे पर कुमकुम-सिन्दूर के साथ एक महिला की दृष्टि, उसके गले में एक मंगलसूत्र पहने हुए, हरी चूड़ियाँ, पैर के अंगूठे के छल्ले और छह या नौ-यार्ड साड़ी स्वचालित रूप से एक पर्यवेक्षक के मन में उसके लिए सम्मान उत्पन्न करता है। हिंदू विवाह के सात वचनों में से, कम से कम तीन ऐसे हैं, जहां जोडे अपने बुजुर्गों की देखभाल करने का वादा करते हैं। पांचवां वचन अपनी संतान पैदा करने और उसकी देखभाल करने का है। हाल के वर्षों में, भारत में हिन्दू विवाह परम्परा एवं संस्कृति से अनेक विसंगतियां एवं विकृतियां जुड़ गयी है, डेटिंग संस्कृति की शुरुआत के साथ, लव-मेरिज का प्रचलन बढ़ा है। संभावित दूल्हा और दुल्हन अपने दम पर जीवनसाथी चुनना पसंद करते हैं। आज के रोमांटिक-रिश्ते वास्तव में विवाह नहीं हैं, बल्कि एक नई प्रथा है, जिसके विपरीत प्रभाव से परिवार-संस्था बिखरने लगी है। विवाह के साथ प्रीवेडिंग का प्रचलन भी अनेक विकृतियों का वाहक बना है, बड़े-बड़े भव्य आयोजन एवं होटल संस्कृति ने भी विवाह की पवित्रता को धुंधलाया है। आयोजनों में शराब एवं अन्य नशों का बड़ा प्रचलन भी दुर्घटनाओं का कारण बना है। जिनके कारण विवाह होने से पहले ही उसमें दरारें पड़ते हुए देखी गयी है।

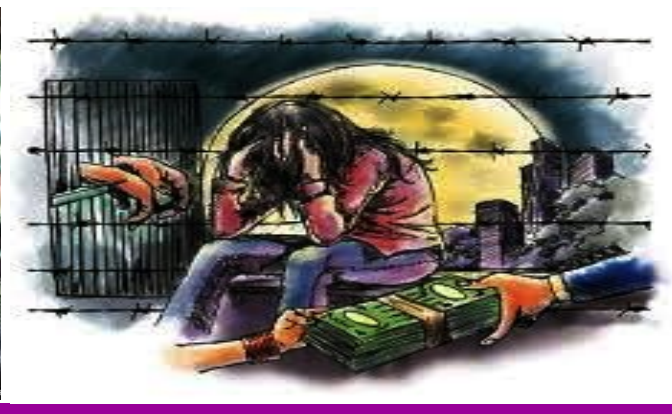

मानवता को शर्मसार करती मानव तस्करी

मावनता को शर्मसार कर देने वाली मानव तस्करी सभ्य समाज के माथे पर बदनुमा दाग है, मानव तस्करी आधुनिक दुनिया में होने वाले सबसे विनाशकारी मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति या बच्चे की तस्करी की जाती है, 3.8 मिलियन वयस्कों की तस्करी की जाती है और उन्हें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है, और हर साल दस लाख बच्चों को जबरन यौन शोषण के लिए तस्करी कर लाया जाता है, बंधुआ मजदूरी भारत की सबसे बड़ी मानव तस्करी की समस्या है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कर्ज-बंधन, पिछली पीढियों से विरासत में मिले ईंट-भट्टों, चावल मिलों और कारखानों में काम करने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

मानव तस्करी में बल, धमकी या जबरदस्ती जैसे तरीकों का उपयोग करके व्यक्तियों को परिवहन करना, भर्ती करना, स्थानांतरित करना, आश्रय देना और प्राप्त करना शामिल है। इन कृत्यों और साधनों का अंतिम उद्देश्य इन व्यक्तियों का शोषण के उद्देश्य से उपयोग करना है। इन व्यक्तियों का शोषण वेश्यावृत्ति, अंग व्यापार, यौन शोषण, जबरन श्रम, दासता और दासता जैसे विभिन्न अत्यंत अपमानजनक रूप लेता है। जिन व्यक्तियों की तस्करी की जाती है उनमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की होती है जिनका उपयोग विभिन्न अनैतिक प्रकार के श्रम या यौन शोषण के लिए किया जाता है।

मानव तस्करी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है और इसे मानव तस्करी का स्रोत, पारगमन और गंतव्य माना जाता है। किसी एक राज्य की सीमाओं के भीतर तथा अंतरराज्जीय मानव तस्करी के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी भी काफी लंबी खुली सीमा होने के कारण भारत में होती है। पश्चिम बंगाल मानव तस्करी का नया केंद्र बनकर उभरा है। भारत से पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में मानव तस्करी होती है। दुनियाभर में मानव तस्करी के पीड़ितों में एक-तिहाई बच्चे होते हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले एक दशक में बांग्लादेश से लगभग 5 लाख महिलाएँ, लड़कियाँ और बच्चे अवैध रूप से भारत में लाए गए और यह संख्या साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल आज भारत का सबसे बड़ा सेक्स बाजार बनकर उभरा है और आँकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। देशभर के कोठों में देह व्यापार करने वाली जो लड़कियाँ रिहा कराई गईं, उनमें प्रति 10 लड़कियों में से 7 उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना से लाई जाती हैं। इन लड़कियों में सबसे बड़ा डर पकड़े जाने का होता है, क्योंकि जब इन्हें रिहा कराकर घर वापस भेजा जाता है तो सामाजिक बदनामी से बचने के लिये परिवार वाले इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं।

पकड़े जाने से बचने के लिये इन लड़कियों के दलाल अपने रहने का ठिकाना और मोबाइल के सिम कार्ड लगातार बदलते रहते हैं। बांग्लादेश के साथ लगा बेनोपोल बॉर्डर मानव तस्करी के लिये दलालों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला रास्ता है और बांग्लादेशी दलालों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मजबूत ठिकाने बना लिये है। बांग्लादेशी लड़कियों को आकर्षक रोजगार, वेतन और सुविधाओं के अलावा विवाह तथा फिल्मों में काम करने का लालच देकर भारत लाया जाता है, जहाँ मुंबई, हैदराबाद और बंगलूरु इनके पसंदीदा ठिकाने माने जाते हैं। तस्करी उन स्थानों पर पनपती है जहां व्यापक गरीबी है। माता-पिता अपने बच्चों को बेच देते हैं क्योंकि गरीबी के कारण उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है, वे अक्सर सोचते हैं कि अपने बच्चों को बेचने से वे उन जगहों पर चले जाएंगे जो बहुत बेहतर हैं और जहां उनके जीवन में सुधार होगा। समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक, जो तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील है, युवा महिलाएं हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश समाजों में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को अवमूल्यन और अवांछित माना जाता है और इस तरह वे तस्करी की प्रथा के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

उन जगहों से पलायन करने की इच्छा जहां उनका जीवन दयनीय है, व्यक्तियों को तस्करों से संपर्क करने के लिए तैयार करती है जो शुरुआती चरणों में उन्हें बेहतर जीवन के वादे के साथ लुभाते हैं, लेकिन एक बार जब पीड़ित उनके नियंत्रण में आ जाते हैं, तो उन्हें झुकाने के लिए जबरदस्ती के उपाय लागू किए जाते हैं। अन्य कारण हैं सीमाओं की छिद्रपूर्ण प्रकृति, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक समूहों या नेटवर्क की भागीदारी और सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए आव्रजन और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सीमित क्षमता या प्रतिबद्धता। पिछले कुछ वर्षों में तस्करी का खतरा ड्रग सिंडिकेट के बराबर एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट बन गया है। इसने पैसे और भ्रष्ट राजनेताओं की मदद से समाज में अपनी जड़ें गहरी जमा ली हैं। भारतीय कानूनी ढांचे में ठोस परिभाषाओं की कमी भी इस उद्देश्य में मदद नहीं करती है क्योंकि विभिन्न तस्कर कानूनी प्रणालियों में तकनीकी खामियों के आधार पर छूट जाते हैं। ठोस परिभाषाओं के बिना भी, कानून पर्याप्त होने चाहिए थे, लेकिन भारत में इन कानूनों के कार्यान्वयन में बहुत कुछ अधूरा रह गया है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर निगरानी की कमी ने तस्करों के लिए अपना व्यापार जारी रखने के लिए एक नया मंच खोल दिया है। तस्करी की समस्या पर डेटा अपर्याप्त है, इसलिए तस्करों के पैटर्न और कार्य तंत्र उतने स्पष्ट नहीं हैं जितना होना चाहिए। यहां तक कि जब पीड़ितों को तस्करों से बरामद किया जाता है तो उनका पुनर्वास इस तरह से नहीं किया जाता है कि वे दोबारा तस्करी का शिकार न हों। मानव तस्करी का खतरा बहुत बड़ा है और न केवल ऐसे अपराधों को रोकने की जरूरत है बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि राहत और पुनर्वास प्रक्रिया सुचारू रूप से हो। नीतियों में और सुधार करने की आवश्यकता है और विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों द्व ारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

मानव तस्करी से सुरक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। देश के हर बच्चे, हर पुरुष और हर महिला को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए इस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। मानव तस्करी वर्तमान विश्व के सम्मुख उपस्थित कई बड़ी समस्याओं में से एक है। तमाम कोशिशों के बावजूद इसे रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है और न केवल अल्प-विकसित और विकासशील देश बल्कि विकसित राष्ट्र भी इस समस्या से अछूते नहीं है। मानव तस्करी भारत की भी प्रमुख समस्याओं में से एक है।

प्रियंका सौरभ

विकास की बाट अभी भी जोह रहा मधेपुरा

गरीबों की बात सभी दल कर रहे हैं। गरीब यह देख कर खुश हैं कि उन्हें बहुत याद किया जा रहा है लेकिन वह यह बात जानते हैं कि मतदान के बाद उनकी सुध लेने कोई नहीं आयेगा। सभी दल सामाजिक न्याय की बात भी कर रहे हैं लेकिन वास्तविक सामाजिक न्याय तभी होगा जब सबका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा शिक्षा को सस्ता कर सबके लिए सुलभ बनाया जायेगा।

लोकसभा चुनावों में विपक्ष की ओर से संविधान और आरक्षण बचाने की दुहाई दी जा रही है तो सरकार का कहना है कि वह संविधान और आरक्षण की सुरक्षा के लिए चट्टान बन कर खड़ी रही है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। देखा जाये तो इस बार के आम चुनाव में प्रचार में मुद्दे तो कई उठ रहे हैं लेकिन जनता के असल मुद्दे परिदृश्य से गायब होते जा रहे हैं। गरीबों की बात सभी दल कर रहे हैं। गरीब यह देख कर खुश हैं कि उन्हें बहुत याद किया जा रहा है लेकिन वह यह बात जानते हैं कि मतदान के बाद उनकी सुध लेने कोई नहीं आयेगा। सभी दल सामाजिक न्याय की बात भी कर रहे हैं लेकिन वास्तविक सामाजिक न्याय तभी होगा जब सबका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा शिक्षा को सस्ता कर सबके लिए सुलभ बनाया जायेगा।

सामाजिक न्याय की मांग सबसे पहले बिहार से उठी थी। यह मांग उठायी थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के राजनीतिक सफर की बात करें तो आपको बता दें कि बिहार के मध पुरा संसदीय क्षेत्र के भागलपुर से अलग होने के बाद, मंडल ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) के टिकट पर 1967 का लोकसभा चुनाव जीता था। वह 1968 में थोड़े समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। मंडल यादव समुदाय से थे और उन्हें दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 1978-80 के दौरान वह मंडल आयोग की रिपोर्ट के लेखक बने, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस घटनाक्रम के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था जोकि आज तक राजनीतिक परिदृश्य में काफी महत्व रखते हैं।

मधेपुरा शहर की चर्चा तो बहुत होती है लेकिन यह क्षेत्र विकास की बाट अब तक जोह रहा है। मधेपुरा से लगभग 10 किमी दूर, जैसे ही कोई पूर्णिया-सहरसा राजमार्ग से दाहिनी ओर मुड़ता है और रेलवे लाइन पार करता है तो टिन की छत वाले कच्चे घरों की श्रृंखला आपको दिखाई पड़ेगी। यहां पर मुरहो गांव के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का स्मारक है। मंडल स्मारक से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर मुसहर टोले के एक कोने में, एक मिट्टी की झोपड़ी है, जहां क्षेत्र के पहले संसद सदस्य किराई मुसहर के पोते रहते हैं। यह बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर से जाति जनगणना के मुद्दे पर राजनीति तो बहुत की गयी लेकिन पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया गया। यही नहीं मंडल के विचारों को भी इन दलों की ओर से दरकिनार कर दिया गया है। देखा जाये तो देश की सामाजिक न्याय की राजनीति के अग्रदूत, मंडल की विचारधारा ने समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सहित कई समाजवादी नेताओं को जन्म दिया। लेकिन इन दलों ने मंडल को भुला दिया। आज मंडल का पैतृक घर और उनके नाम पर स्मारक मुरहो गांव में उपेक्षा के शिकार दिखते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि लालू और नीतीश ने सामाजिक न्याय आंदा. लन को कमजोर कर दिया क्योंकि दोनों ने अपनी-अपनी जातियों को बढ़ावा दिया और दलितों को कुछ नहीं दिया इसीलिए वह अब भी गरीब बने हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि महादलितों की हालत और इस गांव की हालत देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति करने वालों ने देश और समाज को कुछ नहीं दिया।

सर्वविदित है कि यादवों के प्रभुत्व वाले निर्वाचन क्षेत्र मधेपुरा में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि मुरहो गांव से शुरू हुए सामाजिक न्याय के गौरवशाली आंदोलन से जुड़ी यादें जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। उल्लेखनीय है कि मुरहो गांव यादव बहुल है और इसके अन्य समुदायों में कुर्मी और पचपनिया जैसे कुछ अन्य ओबीसी समूहों के साथ-साथ महादलित भी शामिल हैं। यहां के लोग इस गांव का भाग्य बदलने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। गांव के युवक कहते हैं कि बीएड की डिग्री ली, आईटीआई का प्रमाणपत्र लिया लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। अधि कांश युवक स्कूली बच्चों को खुले में ट्यूशन पढ़ा कर अपना काम चलाते हैं। बेरोजगारी की स्थिति को लेकर युवकों की नाराजगी हर दल से है। युवकों का कहना है कि कोई भी वास्तविक मुद्दों के बारे में बात नहीं कर रहा है। असली मुद्दा बेरोजगारी है।

युवकों का कहना है कि बड़ी डिग्री लेने के बावजूद चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन किया है लेकिन एक साल से परीक्षा ही आयोजित नहीं की जा रही है। युवकों का कहना है कि परीक्षा आयोजित भी हो तो पेपर लीक हो जाता है जिससे बड़ा नुकसान होता है। गांव वालों की शिकायत है कि यहां की सुध लेने के लिए कोई राजनेता नहीं आता है।

लोगों का कहना है कि हर घर जल योजना के तहत आ रहा पानी अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। लोगों का कहना है कि नल तो हैं लेकिन गांव में नालियां नहीं हैं जिससे गंदगी का अंबार लगा रहता है। हम आपको बता दें कि मधेपुरा में 2019 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शरद यादव को 3 लाख से अधिक वोटों से हराया था। इस बार, मौजूदा सांसद दिनेश का मुकाबला राजद के चंद्रदीप यादव से है, जो शिक्षाविद् और पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार रवि के बेटे हैं। माना जा रहा है कि इस बार क्षेत्र में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

हिन्दू विवाह पर न्यायालय का संदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दू विवाह पर सख्त नसीहत दी है, जो उन लोगों के लिए सन्देश है, जो हिन्दू विवाह की पवित्रता को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ नाच-गाने या खाने-पीने जैसे आयोजन तक सीमित कर देते हैं। बलाक से सम्बन्धित एक मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने हिन्दू धर्म में विवाह सम्पन्न करने की प्रक्रिया पर जोर दिया है। न्यायालय नें उन जोड़ों की भी आलोचना की है, जो वैध विवाह समारोहों के बगैर शादीशुदा होने का दर्जा हासिल करने की कोशिश करते हैं। न्यायमूर्ति बी.बी. नागरत्ना और अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने यह भी काहा है हिन्दू विवाह का संस्कार है, जिसे भारतीय समाजमें महान मुल्योंकी संस्थाकां दज्जा दिया गया है।

इसलिए हम युवा पुरुषों और महिलाओं से अपील करते हैं कि वे इसमें प्रवेश करने से पहले गहराई से सोचें कि भारतीय समाज में यह संस्था कितनी पवित्र है। शीर्ष न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी की है कि शादी 'गाने और नांचने और 'शराब पीने और खाने' या दहेज की मांग और तोहफों के लेन-देन का अवसर हो है। विवाह व्यावसायिक लेन-देन भी नहीं है। यह ऐसा आयोजन है, जिसे महिला और पुरुष के बीच रिश्ता बनाने के लिए किया जाता है, जो भविष्य में एक परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा हासिल करते हैं, साथ ही न्यायालय ने वीजा आवेदन जैसे कारणों के लिए हिन्दू विवाह कानून की धारा आठ के तहत विवाह पंजीकरण कराने वाले जोड़ों का भी उल्लेख करते हुए चेतावनी दी है कि सिर्फ पंजीकरण करा लेना ही शादी को वैध नहीं करता है। रजिस्ट्रार आफ मैरेज के पास शादी का ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन और बाद में जारी होने वाला प्रमाणपत्र यह पुष्टि नहीं करता है कि पुरुष और महिला ने हिन्दू विवाह सम्मन्न किया है। न्यायालय ने मात्र पंजीकरण के आधा विवाह के बारे में कई सवाल भी खड़े कर दिया हैं और इस बात पर जोर दिया है कि हिन्दू विवाह की परमप्परा और संस्कार के आधार पर ही शादियां होनी चाहिए। एक प्रकरणमें महिला की ओर से अदालत में तलाक की कार्यवाही को ट्रांसफर को लेकर याचिका दाखिल की गयी थी। केस जारी रहने के दौरान पति और पत्नी दोनों यह घोषणा करने के लिए सहमत हो गए थे कि उनकी शादी वैध नहीं थी और यह भी कहा कि उन लोगों ने रीति-रिवाज व अनेक परम्पराओं का पालन नहीं किया है । कछ परिस्थितियों के बदलते वैदिक जनकल्याण समिति से शादी सम्पन होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने को मजबूर थे। ऐसी स्थितिमें शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की और नसीहतें दी हैं वह हिन्दू विवाह की मर्यादा और सरकार को पुष्ट करते हैं। हिन्दू विवाह की पूरी प्रक्रिया का विधि-विधान के साथ अनुपालन आवशयक है।

भारत एवं कनाडा के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर

कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालसा दिवस समारोह के दौरान खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने के बाद भारत सरकार जो सख्ती दिखाई है, वह आवश्यक एवं समयोचित कदम है। इस घटना पर भारत का चिंतित होना एवं कनाडा को चेताया जाना स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय में कनाडा के उप-उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में गहरी आपत्ति जताई गई है। कनाडा सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिये अनेक बार भारत विरोध ी घटनाओं में संदेहास्पद एवं विवादास्पद भूमिका का निर्वाह करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की मर्यादाओं को धुंधलाया है। कनाडा की धरती से खालिस्तानी समर्थक अलगाववाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता रहा है। इस तरह की घटनाओं से कनाडा में अपराध का माहौल बना हुआ है। इससे कनाडा के नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। जिससे भारत में भी स्थितियां संकटपूर्ण बनी है। पिछले साल खुद ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से निज्जर हत्याकांड में भारत के शामिल होने का निराधार आरोप लगाया था। भारत के मांगने के बाद भी आज तक उनकी सरकार इस आरोप के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाई है। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाकर दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया था। भारत ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद से कनाडा और भारत के संबंधों में खटास आ गई और दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की बजाय खतरनाक मोड़ पर पहुंच गये हैं। खालसा दिवस समारोह में न केवल खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए बल्कि ऐसे बैनर प्रदर्शित किए गए, जिनमें भारत-विरोध के त्रासद एवं राष्ट्र-विरोध के भ्रामक, झूठे एवं बेबुनियाद आरोप थे। अफसोस और चिंता की बात यह रही कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो इन सब भारत-विरोधी घटनाओं को रोकने की या इन्हें गलत बताने की कोई कोशिश की। इस पूरे मामले में ट्रूडो का व्यवहार आपत्तिजनक बना, दो देशों के बीच खटास घोलने वाला एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का रहा। जिसे दोनों देशों के राजनयिक पैमाने पर उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह कनाडा अपने देश की राजनीतिक जरूरतों के चलते भारत के साथ अपने रिश्ते इस मोड़ पर ले आया हैं, जहां उनके बीच विश्वास, भरोसे, आपसी सहयोग और संवाद की कमी है, तो यह अकारण नहीं है। भले ही लगभग आठ लाख कनाडाई सिखों की वहां की राजनीति में सक्रिय भागीदार हैं। सिख समुदाय की जरूरतों एवं उनके शांतिपूर्ण जीवन के लिये कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता में कोई आपत्ति नहीं हैं। सिख समुदाय के मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा करने के वायदे यदि वहां की सरकार करती है तो अच्छी बात है। भले ही कनाडा सरकार सिखों के सामुदायिक केंद्रों, गुरुद्वारा समेत पूजास्थलों की सुरक्षा को और मजबूत करने के साथ भारत एवं कनाडा के बीच उड़ानें और रूट बढ़ाने को लेकर भारत के साथ नए समझौते करें, लेकिन इन स्थितियों के बीच खालिस्तानी अलगाववाद को प्रोत्साहन देना भारत के लिये असहनीय है। भारत बार-बार इस बात को दोहरा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह अलगाववादी और अतिवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना न केवल दोनों देशों के रिश्तों के लिए बल्कि खुद कनाडा के लिए भी खतरनाक है। भारत जिस तरह से लम्बे समय तक खालिस्तानी आतंकवाद को झेला है, कनाडा में इन तत्वों को प्रोत्साहन देकर कनाडा आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र बन सकता है, जो उसके लिए नुकसानदेह ही साबित होने वाला है। निश्चित ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकी फल-फूल रहे हैं। खालिस्तानी न केवल भारतीय राजनयिकों को धमका रहे हैं बल्कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। कनाडा की धरती पर हर किस्म के खालिस्तानी चरमपंथी ही नहीं पल रहे हैं बल्कि वहां भारत से भागे गैंगस्टर और नशे के तस्कर भी शरण पा रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भारत ने कनाडा को जो खरी-खोटी सुनाई, वह इसलिए आवश्यक थी, क्योंकि वहां की ट्रूडो सरकार अपने भारत विरोधी रवैये से बाज नहीं आ रही है। वह जिस तरह खालिस्तानी अतिवादियों को संरक्षण दे रही है, उसकी मिसाल यदि कहीं और मिलती है तो वह पाकिस्तान में। कनाडा अपने भारत विरोधी रवैये के कारण पाकिस्तान सरीखा बनता जा रहा है। कनाडा अपने हितैषी एवं पडोसी देशों से दूरियां बना रहा है। खालिस्तान समर्थन एवं प्रोत्साहन के चलते कनाडा में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अपने देश के साथ दुनियाभर में वह आलोचकों के निशाने पर हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों पर नियंत्रण रखने में कथित नाकामी के चलते ट्रूडो को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते जी-20 बैठक में उन्हें भारत और सदस्य देशों का 'ठंडा' रिस्पांस मिला। भारत में खास अहमियत नहीं मिलने से खिसियाए ट्रूडो को कनाडा के मीडिया ने भी आड़े हाथ लिया है।

ट्रूडो सरकार पर भारत के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाने और व्यापार वार्ता के बारे में अंधेरे में रखने के आरोप भी लगे हैं। घरेलू राजनीतिक हितों के लिए ट्रूडो भारत के साथ लड़ाई मोल लेकर अपने देश का भारी आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि भारत अब दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कनाडाई में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात और व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर यहां की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। भारत की नाराजगी बेवजह नहीं है, क्योंकि कनाडा भारत के विरोध में लगातार सक्रिय हैं, कनाडा ने ही किसानों के आंदोलन के समर्थन में अतिश्योक्तिपूर्ण सहयोग होने दिया। जबकि दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के लिए एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव और आपसी भरोसा रहना जरूरी है। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठे थे। लेकिन अमेरिका ने इस मसले पर सार्वजनिक बयानबाजी करने के बजाय भारत सरकार से सीधी बातचीत की। भारत ने भी अमेरिकी सरकार की ओर से मुहैया कराए गए सबूतों को गंभीरता से लिया। इस मामले में एक उच्चस्तरीय जांच शुरू हुई।

अच्छी बात यह भी है कि इस मामले को दोनों देशों के संबंधों के खटास का माध्यम नहीं बनने दिया। जांच के निष्कर्षों को दोनों देशों ने स्वीकार किया एवं बेवजह का विवाद खड़ा नहीं होने दिया। कनाडा को भी अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए एवं निज्जर हत्याकांड में भारत की अगर कोई भूमिका है तो उसके सबूत भारत सरकार को देने चाहिए। कोरे आरोप लगाकर आपसी संबंधों को बिगाड़ने से परहेज करना चाहिए। अपनी भूमि का उपयोग भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करती गतिविधियों के लिये कत्तई नहीं करने देना चाहिए। बात कनाड़ा के साथ-साथ अन्य देशों पर भी लागू होती है जो अपने राजनीतिक हितों के लिये खालिस्तान समर्थक या अन्य भारत विरोधी आन्दोलनों को जगह देते हैं, लेकिन इन देशों ने भी समझा है और समझना ही होगा कि किसी देश के अन्दरूनी मामलों में दखलअंदाजी करना उनके लिये ही हानिकारक होने वाला है। भारत अब एक महाशक्ति है, कनाड़ा जैसे देशों की भारत-विरोधी गतिविधियों से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पडेगा।

भारतीय संविधान में प्रेस को अलग से स्वतंत्रता प्रदान नहीं

भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे सफल और बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसे में अगर नार्वे जैसा छोटा सा देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में शीर्ष स्थान पर है तो यह सोचने का विषय है। प्रेस की आजादी के मामले में अगर नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश हमसे आगे हैं तो गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आने का सीधा और स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र की मूल भावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार निहित है, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है।

विडंबना यह है कि विगत कुछ वर्षों से प्रेस स्वतंत्रता के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। कलम की ध ार को तलवार से भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावी इसलिए माना गया है क्योंकि इसी की सजगता के कारण न केवल भारत में बल्कि अनेक देशों में पिछले कुछ दशकों के भीतर बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो सका। इसके चलते तमाम उद्योगपतियों, नेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आना पड़ा। यही कारण हैं कि समय-समय पर कलम रूपी इस हथियार को भोथरा करने के कुचक्र होते रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में सच की कीमत कुछ पत्रकारों को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ी है। 03 दिसम्बर 1950 को देश के प्रथम प्रध ानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था- ''मैं प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय, उसकी स्वतंत्रता के बेजा इस्तेमाल के तमाम खतरों के बावजूद पूरी तरह स्वतंत्र प्रेस रखना चाहूंगा क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता एक नारा भर नहीं है बल्कि लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है।'' पिछले कुछ दशकों में स्थितियां काफी बदल गई हैं। आज दुनियाभर में पत्रकारों पर राजनीतिक, आपराधिक और आतंकी समूहों का सर्वाधिक खतरा है। इस दौरान दुनियाभर के न्यूज रूम्स में सरकारी तथा निजी समूहों के कारण भय और तनाव में वृद्धि हुई है। पेरिस स्थित 'रिपोर्ट्स सैन्स फ्रंटियर्स' (आरएसएफ) अथवा 'रिपोर्ट्स विदआउट बॉर्डर्स' हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हैं। 'रिपोर्ट्स विदआउट बॉर्डर्स' गैर-लाभकारी संगठन है। यह विश्वभर के पत्रकारों पर हमलों का दस्तावेजीकरण करने और मुकाबला करने के लिए कार्यरत है और प्रतिवर्ष 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' अर्थात 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' प्रस्तुत करता है। 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019' में उसने भारत सहित विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया था कि किस प्रकार विश्वभर में पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल गई है, जिससे दुनियाभर में पत्रकारों में डर बढ़ा है।

वर्ष 2022 में उसकी रिपोर्ट में नार्वे ने प्रेस की आजादी के लिए पिछली बार की ही तरह पहला स्थान प्राप्त किया। भारत को 180 देशों में 150वां स्थान दिया गया। भारत इस रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले आठ स्थान नीचे फिसला है। वर्ष 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां था। वर्ष 2022 के सूचकांक में प्रेस फ्रीडम, सरकारी दखलंदाजी और मीडिया की कार्यप्रणाली के अलावा सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज तथा उसके प्रभावों पर भी ध्यान दिया गया है और रैंकिंग में प्रेस की पांच प्रकार की स्वतंत्रता को आधार बनाया गया है। पांचों क्षेत्रों में मिले अंकों के औसत के आधार पर ही सभी देशों की रैंकिंग निर्धारित हुई है। इस आधार में प्रेस की राजनीतिक, आर्थिक, विधायिका, सामाजिक और सेकुलर स्वतंत्रता शामिल है। 2022 की रैंकिंग में भारत राजनीतिक स्वतंत्रता में 40.76 अंकों के साथ 145वें, आर्थिक स्वतंत्रता में 30.39 अंकों के साथ 149वें, लेजिस्लेटिव स्वतंत्रता में 57.02 अंकों के साथ 120वें, सामाजिक स्वतंत्रता में 56.25 अंकों के साथ 127वें और सेकुलर फ्रीडम में 20.61 अंकों के साथ 163वें स्थान पर है। हालांकि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति पड़ोसी देशों से बेहतर है। भारत के मुकाबले म्यांमार 176वें, चीन 175वें, बांग्लादेश 162वें, पाकिस्तान 157वें और अफगानिस्तान 156वें स्थान पर हैं। भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे सफल और बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसे में अगर नार्वे जैसा छोटा सा देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में शीर्ष स्थान पर है तो यह सोचने का विषय है। प्रेस की आजादी के मामले में अगर नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश हमसे आगे हैं तो गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आने का सीधा और स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र की मूल भावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार निहित है, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। भारतीय संविधान में प्रेस को अलग से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है बल्कि उसकी स्वतंत्रता भी नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता में ही निहित है और देश की एकता तथा अखंडता खतरे में पड़ने की स्थिति में इस स्वतंत्रता को बाधित भी किया जा सकता है। कल्पना की जा सकती है कि प्रेस की स्वतंत्रता अगर इसी प्रकार सवालों के घेरे में रही तो पत्रकार कैसे पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे? यह भी जरूरी है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अपनी सीमा और मर्यादा में रहना होगा।

जब चंद्रशेखर के खिलाफ लगा था नारा भिंडरवाला वापस जाओ

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की शोक अवधि बीतते ही चुनाव आयोग ने सातवीं लोकसभा के चुनावों का ऐलान कर दिया था...चुनाव घोषणा की वह तारीख थी, तेरह नवंबर 1984...इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई देशव्यापी सिख विरोधी हिंसा की आंच भले ही ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी तपिश महसूस की जा रही थी। लोगों के दिल में इंदिरा की हत्या से उपजा क्षोभ अभी ताजा था..इसी बीच चुनाव आ गए... उन दिनों विपक्ष का सबसे बड़ा दल था, जनता पार्टी। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर तीसरी बार अपनी पारंपरिक उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके थे। उन दिनों लोकसभा की बलिया नाम से दो सीटें थी, पहली उत्तर प्रदेश की बलिया, जो अब भी है, और दूसरी बिहार की बलिया, जो परिसीमन के बाद खत्म हो चुकी है। नवंबर 1984 के आखिरी हफ्ते की कोई तारीख थी। चंद्रशेखर नामांकन दाखिल करने के लिए बलिया आ रहे थे। तब इलाहाबाद से बरौनी तक मीटर गेज की रेल चलती थी। इसी रेल रूट पर बलिया भी पड़ता है। तब बलिया से वाराणसी के बीच छुकछुकिया यानी भाप इंजन वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती थी। जो वाराणसी से चलकर करीब बारह बजे बलिया पहुंचती थी। चंद्रशेखर उसी इंटरसिटी एक्सप्रेस बलिया आ रहे थे। इसकी जानकारी उनके समाजवादी कार्यकर्ताओं के तमाम लोगों की थी। उन दिनों चंद्रशेखर को बलिया के लोग दो नामों से ज्यादा पुकारते थे, अध्यक्ष जी और दाढ़ी। चंद्रशेखर इंटरसिटी से जैसे ही बलिया के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उतरे, उनके कार्यकर्ता फूलमालाओं के साथ उनके स्वागत में बढ़े तो कुछ दूर स्थित युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जोर-जोर से नारा लगाना शुरू कर दिया, भिंडरवाला वापस जाओ, भिंडरवाला वापस जाओ.. जून 1984 में सिखों के तीर्थ स्थल अमृतसर के स्वर्णमंदिर में सैनिक कार्रवाई हुई थी..उस कार्रवाई में पंजाब को दहशत का केंद्र बनाने वाला जनरैल सिंह भिंडरवाला मारा जा चुका था। इसी कार्रवाई से सिख समुदाय गुस्से में था, जिसकी दुखद परिणति 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में सामने आई। चंद्रशेखर ने स्वर्णमंदिर में सैनिक कार्रवाई का जोरदार शब्दों में विरोध किया था..इंदिरा की हत्या के बाद उनका यह विरोध चर्चा में आ गया था.. तत्कालीन सहानुभूति लहर के चलते इस बयान की वजह से चंद्रशेखर भी लोगों के निशाने पर थे... बलिया प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ लगा नारा उसी क्षोभ की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है..चंद्रशेखर नारा लगा रहे युवाओं की तरफ कुछ कदम बढ़ाए भी..कुछ देर के लिए नारा थम गया.. लेकिन बाद में नारा तब तक लगता रहा, जब तक वे प्लेटफॉर्म से निकलकर अंबेसडर कार से बलिया कलेक्ट्रेट नहीं चले गए.. बलिया कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद उनकी सभा शहर के रामलीला मैदान में हो रही थी..जाड़े की गुनगुनी धूप ढलने लगी थी..जुलूस के साथ चंद्रशेखर रामलीला मैदान पहुंचे। तब वे खादी मटका का कुर्ता, धोती और बंडी पहने थे। कंधे पर बेतरतीब चादर भी थी..उनके नामांकन को कवर करने के लिए कुछ विदेशी पत्रकार भी बलिया पहुंचे थे.. रामलीला मैदान की उस सभा में बैठने का इंतजाम नहीं था..ज्यादातर लोग खड़े ही थे...चंद्रशेखर मंच पर पहुंचे..भिंडरवाला वापस जाओ के नारे से हुए स्वागत से उन्हें भरोसा हो गया था कि स्वर्णमंदिर में हुई सैनिक कार्रवाई के चलते लोगों में उन्हें लेकर गुस्सा है। लिहाजा उन्होंने अपने भाषण में सफाई देनी शुरू की...जिस सिख कौम के लिए सिखों के गुरू तेगबहादुर ने अपने शीश चढ़ा दिया, जिसके लिए गुरू गोविंद सिंह के दो बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया..उस महान कौम के तीर्थ स्थल पर सैनिक कार्रवाई का विरोध करके मैने गलती कहां गलती की... अभी चंद्रशेखर का वाक्य पूरा ही नहीं हुआ कि तकरीबन पूरे मैदान से विरोध के सुर फूट पड़े, कोई उन्हें भोजपुरी में दाढ़ी के संबोधन के साथ चुप रहने की नसीहत दे रहा था..तो कोई उनके सफाई देने पर सवाल उठा रहा था.. चंद्रशेखर समवेत विरोध के इस सुर से चकित रह गए.. बेशक तब तक वे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे, लेकिन उनकी अपीलों का कोई असर नहीं हुआ..लोगों ने उनका खुलकर विरोध किया..विरोध का प्रमुख वजह रही इंदिरा की हत्या को लेकर कांग्रेस के प्रति उपजी हमदर्दी और गुस्सा... 1977 और 1980 के चुनावों में जिस बलिया ने चंद्रशेखर को अपना संसदीय ताज बनाया, उसी बलिया ने दिसंबर 1984 में हुए आम चुनावों में नापसंद कर दिया..कांग्रेस के जगन्नाथ चौधरी के हाथों जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को 54 हजार 940 वोटों से हार मिली...बलिया से कांग्रेस के आखिरी नुमाइंदे जगन्नाथ चौधरी ही रहे..उसके बाद 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के चुनावों में चंद्रशेखर को लगातार जीत मिली...उनके निधन के बाद हुए 2007 के उपचुनाव में उनके बेटे नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। नीरज को 2009 में भी जीत मिली, लेकिन 2014 में वे हार गए।

वायु मौजूद प्रदूषक तत्व, बन रहा चिंता का कारण

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओजोन का जमीनी स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। बीते आठ घंटों में कई स्टेशनों पर ओजोन का स्तर नियमित मानक से अधिक हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के विश्लेषण की मानें तो दिल्ली की हवा में ओजोन का बढ़ना एक प्रमुख प्रदूषक हो गया है। जमीनी स्तर पर ओजोन के बढ़ने के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ये भी संभावना जताई गई है कि आने वाले दिनों में ओजोन का स्तर अधिक बढ़ सकता है। ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) के बीच जटिल संपर्क पैदा होता है। ये वाहनों, बिजली संयंत्रों, कारखानों और अन्य दहन स्त्रोतों से उत्सर्जित होते है। ओजोन उत्पन्न होने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कई प्रक्रियाएं पूरी होती है। वर्ष 2023 में सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट के एक विश्लेषण में जानकारी दी गई है। इस विश्लेषण के मुताबिक ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है। अगर इसके संपर्क में आया जाए तो ये कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर सकती है। ओजोन से संपर्क में आने से श्वसन संबंधी समस्याओं, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) से पीड़ित लोगों को काफी परेशानी होती है। इन बीमारियों का गंभीर खतरा आमतौर पर फेफड़े की बीमारी वालों, बच्चों और वृद्धों को होता है। इस संबंध में सीएसई का कहना है कि जमीनी स्तर को देखते हुए ओजोन वायुमार्ग को भड़काता है। सीएसई ने कहा है कि जमीनी स्तर का ओजोन वायुमार्ग को क्षतिग्रस्त कर सकता है। ओजोन के संपर्क में आने से फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है। इससे लोगों में अस्थमा, वातस्फीति और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी बढ़ सकती है। ये समस्या अस्थमा के दौरे की आवृत्ति बढ़ा सकता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की संभावना बढ़ सकती है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां ओजोन का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक था। सीपीसीबी के आंकड़ों की मानें तो डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नरेला, नेहरू नगर और आरके पुरम इलाकों में ओजोन का स्तर अधिक पाया गया था। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के एक अधिकारी की मानें तो पूरे वर्ष, च्ड2.5 एक चिंता का विषय बना रहता है। वहीं गर्मियों के मौसम में ओजोन का स्तर बढ़ जाता है। जीवाश्म ईंधन के दहन और बायोमास के जलने से, उच्च तापमान के साथ, ओजोन का उत्पादन होता है। वीओसी ओजोन के स्तर को भी बढ़ाते हैं और पीएम 2.5 और ओजोन के स्रोतों पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

गहराते जल-संकट से जीवन एवं कृषि खतरे में

वर्तमान में, सिंचाई भी प्रभावित हो रही है, और देश भर में पीने के पानी की उपलब्धता और जलविद्युत उत्पादन पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। भविष्य को देखते हुए, आने वाले महीनों में और अधिक गर्मी पड़ने की आशंका है, जो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बड़ा जल संकट उभरने वाला है।

मानवीय गतिविधियों और क्रिया-कलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के साथ जलाशयों एवं नदियों के लिए खतरा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख जलाशयों और नदी घाटियों में कुल जल भंडारण पर खतरनाक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, जिससे लोगों को गंभीर जल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते इसी जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल 2024 तक देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में उनकी भंडारण क्षमता के अनुपात में तीस से पैंतीस प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हाल के वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट है। जो सूखे जैसी स्थिति की ओर इशारा करती है। जिसके मूल में अल नीनो घटनाक्रम का प्रभाव एवं वर्षा की कमी को बताया जा रहा है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव एवं जीव-जन्तुओं के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये भी बेहद आवश्यक है। परंतु आज भारत गंभीर जल-संकट के साए में खड़ा है। अनियोजित औद्योगीकरण, बढ़ता प्रदूषण, घटते रेगिस्तान एवं ग्लेशियर, नदियों के जलस्तर में गिरावट, वर्षा की कमी, पर्यावरण विनाश, प्रकृति के शोषण और इनके दुरुपयोग के प्रति असंवेदनशीलता भारत को एक बड़े जल संकट की ओर ले जा रही है।

भारत भर में 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर वर्तमान में 31 प्रतिशत है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केवल 17 प्रतिशत क्षमता पर हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता का प्रतीक है। स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी चिंताजनक है, पश्चिम में 34 प्रतिशत और उत्तर में 32 .5 प्रतिशत जलाशय क्षमता है। हालाँकि, पूर्वी और मध्य भारत की स्थिति बेहतर हैं, उनके पास अपने जलाशयों की सक्रिय क्षमता का क्रमशः 40.6 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है, पिछले वर्ष वर्षा कम थी, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, 2023 का मानसून असमान था क्योंकि यह अल नीनो वर्ष भी था- एक जलवायु पैटर्न जो आम तौर पर इस क्षेत्र में गर्म और शुष्क परिस्थितियों का कारण बनता है। इससे काफी चिंता पैदा हुई है। वर्तमान में, सिंचाई भी प्रभावित हो रही है, और देश भर में पीने के पानी की उपलब्धता और जलविद्युत उत्पादन पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। भविष्य को देखते हुए, आने वाले महीनों में और अधिक गर्मी पड़ने की आशंका है, जो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बड़ा जल संकट उभरने वाला है।

लंबे समय तक पर्याप्त बारिश न होने के कारण जल भंडारण में यह कमी आई है। जिसके चलते कई क्षेत्रों में सूखे जैसे और असुरक्षित हालात पैदा हो गये हैं। जिससे विभिन्न फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि देश की आधी कृषि योग्य भूमि आज भी मानसूनी बारिश के निर्भर है। ऐसे में सामान्य मानसून की स्थिति पर कृषि का भविष्य पूरी तरह निर्भर करता है। वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बेंगलुरु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। जिसका असर न केवल कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसी आसन्न संकट से निपटने के लिये जल संरक्षण के प्रयास घरों से लेकर तमाम कृषि पद्धतियों और औद्योगिक कार्यों तक में तेज करने की जरूरत है। जल भंडारण और वितरण दक्षता में सुधार के लिये पानी के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन प्रणालियों में बड़े निवेश की तात्कालिक जरूरत भी है। इसके साथ ही जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही आम लोगों को प्रकृति के इस बहुमूल्य संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा हेतु प्रेरित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाने की जरूरत है।

पानी के संरक्षण और समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित कर हम पर्यावरण को भी बेहतर कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितने पानी का उपयोग करता है, किंतु क्या वह इतने पानी को बचाने का प्रयास करता है? जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत वृद्धि हुई है और सूखे की अवधि में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पानी धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधारभूत आवश्यकता है। आबादी में वृद्धि के साथ पानी की खपत बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन पृथ्वी पर साफ पानी की मात्रा कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और धरती के बढ़ते तापमान ने इस समस्या को गंभीर संकट बना दिया है। दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट का सामना कर रहा है। वैश्विक जनसंख्या का 18 प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है, लेकिन चार प्रतिशत जल संसाधन ही हमें उपलब्ध है। भारत में जल-संकट की समस्या से निपटने के लिये प्राचीन समय से जो प्रयत्न किये गये है, उन्हीं प्रयत्नों को व्यापक स्तर पर अपनाने एवं जल-संरक्षण क्रांति को घटित करने की अपेक्षा है।

सदियों से निर्मल जल का स्त्रोत बनी रहीं नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, अब उन पर जलवायु परिवर्तन का घातक प्रभाव पड़ने लगा है। जल संचयन तंत्र बिगड़ रहा है, और भू-जल स्तर लगातार घट रहा है। धरती पर सुरक्षित और पीने के पानी के बहुत कम प्रतिशत के आंकलन के द्वारा जल संरक्षण या जल बचाओ अभियान हम सभी के लिये बहुत जरूरी हो चुका है। जल को बचाने में अधिक कार्यक्षमता लाने के लिये सभी औद्योगिक बिल्डिंगें, अपार्टमेंट्स, स्कूल, अस्पतालों आदि में बिल्डरों के द्वारा उचित जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिये। देश के सात राज्यों के 8220 ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधनों के लिए अटल भूजल योजना चल रही है। स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में चलने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही, नल से जल, नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाने जैसे प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हमारे यहां जल बचाने के मुख्य साधन हैं नदी, ताल एवं कूप। इन्हें अपनाओं, इनकी रक्षा करो, इन्हें अभय दो, इन्हें मरुस्थल के हवाले न करो। गाँव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिये।

उचित रख-रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाकर या उनका जीर्णोद्धार करके बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। धरती के क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है। परंतु, पीने योग्य जल मात्र तीन प्रतिशत है। इसमें से भी मात्र एक प्रतिशत मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं।

पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। जल का संकट एवं विकट स्थितियां अति प्राचीन समय से बनी हुई है।

इसी कारण राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि प्रांतों में जल संरक्षण के लिये नाड़ी, तालाब, जोहड़, बन्धा, सागर, समंद एवं सरोवर आदि बनाने की प्राचीन परम्परा रही है। जहाँ प्रकृति एवं संस्कृति परस्पर एक दूसरे से समायोजित रही हैं। राजस्थान के किले तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं पर इनका जल प्रबन्धन विशेष रूप से देखने योग्य है और अनुकरणीय भी हैं। जल संचयन की परम्परा वहाँ के सामाजिक ढाँचे से जुड़ी हुई हैं तथा जल के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण के कारण ही प्राकृतिक जलस्रोतों को पूजा जाता है।

लोकसभा चुनाव-2024

कैसा चुनाव कराना चाहता है निर्वाचन आयोग

अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक निर्विरोध निर्वाचित करा दिए गए जिससे वहां निर्वाचन की नौबत ही नहीं आयी। यानी नागरिकों को वोट देने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव ही मैनेज हो गया या तो किसी उम्मीदवार ने हिम्मत ही नहीं जुटायी कि वह भी चुनाव में भाग ले सके या फिर उसे यह अवसर ही नहीं दिया गया। उसके बाद खजुराहो में विपक्षी गठबंधन दल के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। सूरत में भी कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज कराकर और बसपा प्रत्याशी का नाम वापस कराकर अपने अनुकूल स्थिति बनायी गई। अब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी को नामांकन करने के बाद पर्चा वापस कराकर उसे भाजपा में शामिल कराया गया। इस प्रकार की घटनाओं को निर्वाचन आयोग किस रूप में लेता है और कौन सन्देश इस देश की जनता को देना चाहता है? विपक्षी दल यह खुलेआम कह रहे हैं कि यदि इस बार मोदी सरकार वापस आयी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा. संविधान बदल जायेगा। यह आखिरी चुनाव है, आखिर यह मुद्दा विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है। चुनाव आयोग अपनी आखें इसलिए मुंद रखा है क्योंकि वह मानता है कि इस सब में उसकी कोई भूमिका नहीं है। चंडीगढ़ में मेयर के चनाव की कैमरे पर दिखी । बेईमानी के बाद चुनाव को लेकर देश के नागरिकों में बहुत संशय पैदा हो गया है। इन दिनों लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचन और विपक्षी राजनीतिक दलों केप्रत्याशी के चुनाव से हटकर भाजपा में शामिल होने को लेकर जो सूचनाएं आ रही हैं, उसके संकेत लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। यदि विपक्ष लोकसभा चुनाव में पुरजोर तरीके से यह आरोप लगा रहा है कि आने वाले समय में नागरिकों को बोट करने का अधिकार भी नहीं रह जायेगा तो यह निर्विरोध निर्वाचन क्या विपक्षी दलों के आरोपों को मजबूती देने की कड़ी नहीं बनेगे। इसके बारे में तो उस राज्य सरकार और केन्द्र को ही सोचना पड़ेगा कि आखिर निर्विरोध निर्वाचन के लिए क्या वह एक माहौल तैयार कर रही है जिससे कोई बोट देने की जरूरत ही न पड़े और सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी के लिए जीत में कोई बाधा न आये। निर्वाचन आयोग यह कह सकता है कि अभी तो उस सीट पर और भी प्रत्याशी हैं। लेकिन यदि मुख्य मुकाबले के प्रत्याशी को चुनाव से हटा दिया जाए तो क्या यह समझा जा सकता है कि तमाम निर्दलीय प्रत्याशी उसकी जगह ले सकेंगे। क्या वास्तव में भाजपा विपक्षी दलों जिसे वह बहुत कमजोर बता रही है उससे इतना भयभीत हो गई है कि लोग पार्टियों का नामांकन छोड़कर फिर भाजपा में ही शामिल किए जा हे हैं। यदि भाजपा में इतनी ईमानदारी है तो फिर उसे अपनी पाटी में ही नहीं लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव में यह घटनाएं अभी दो-चार हो सकती हैं जो सामने आ रही हैं लेकिन यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी का बजना है। इससे यही साबित होता है कि हम लोकतंत्र को एक ऐसी अभी कोठरी में ले जाना चाहते हैं जहां से नागरिकों का भरोसा ही उठ जाये।

आखिरकार इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी पहचान तो जनता को ही करनी पड़ेगी। देश के आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी इसी प्रकार चुनाव हुए थे जहां औधि कांश सीटों पर निविरोध निर्वाचन हुए थे। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार से यह हो रहा है वह एक नया उदाहरण पैदा कर रहा है। इससे न तो लोकतंत्र मजबूत होने वाला है और न ही चुनाव आयोग पर नागरिकों का भरोसा कायम रहने वाला है। चूंकि निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें भी उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। इसलिए सारा दारोमदार निर्वाचन आयोग पर ही है कि वह कैसा चुनाव कराना चाहता है।

नशे के विरुद्ध शक्ति मॉनिटरिंग की जरूर

जयपुर। गृहविभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने कहाकि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों के बारे मे जागरूक किया जाना सर्वाधिक जरूरी है । उन्होंने निदेश दिए कि- नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं के क्रय -विक्रय की सख्त मॉनीटरिंग के साथ - साथ शिक्षण संस्थानों के समीप स्थित पान और चाय की दुकानों का औचक निरीक्षण भी नियमित रूप से किया जाय । कुमार ने शासन सचिवालय में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस के परिवहन मार्ग और श क श श्रेणी मे आने वाली दवाइयों की अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने तथा इनके स्टॉक एवं खपत की प्रभावी ट्रैकिंग के लिए उचित मानीटरिंग सिस्टम विकसित करें । राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए सभी संबंधित को परस्पर समन्वय से कार्य कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी । उन्होंने कहा कि छात्रों को नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थानों मेंसमय - समय पर नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई जाये । उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में डोडा - पोस्त -चूरी नष्टीकरण का संयुक्त अभिमान - चलाने के लिए भी निर्देशित किया । साथ - ही - साथ प्रदेश में बार की तरह ही कैफे होटल शिवम रेस्टोरेंट आदि के परिसर में भी नशीली दावों के खिलाफ चेतावनी लगाने के लिए कहा बैठक में अधिकारियों द्वारा प्रभावित तंत्र के स्थापित करने के विषय में भी विचार विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री की दीर्घायु कामना के लिए किया महायज्ञ का आयोजन

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के अवसर पर बुध वार को आगरा गेट स्थित महर्षि दयानंद स्मारक निर्वाण न्यास (भिनाय कोठी) में महायज्ञ का आयोजन किया गया। गांधी दर्शन समिति के संयोजक व पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती के नेतृत्व में मुख्यमंत्री गहलोत के दीर्घायु होने की कामना के साथ हवन में आहुतियां दी गई। बाहेती ने बताया कि यह एक संयोग ही है कि आज विश्व यज्ञ दिवस भी है। उन्होंने कहा कि यज्ञ करने से व यज्ञ में किसी मनोकामना को लेकर जो आहुतियां दी जाती हैं वह पूर्ण होती हैं। प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिससे आमजन को राहत मिली है । गहलोत हमेशा हर जाति वर्ग को साथ लेकर चलने वाले में विश्वास करते हैं, जिससे उन्होंने आमजन के मानस में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि बनाई हैं।

शान्ति का संदेश देने के लिए महिलाओं के सिर मुंडा का निकाली साइकिल रैली

लगातार मतदान की गिरावट देश में चिन्ता का विषय

प्रथम चरण एवं दूसरे चरण में लगातार मतदान की गिरावट देश में चिंता का विषय बनी है तो यह स्वाभाविक है। अब तक कुल 12 राज्यों केरल, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड, सिक्किम तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का मतदान संपन्न हो चुका है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो औसत मतदान में गिरावट नहीं है। राज्यों एवं राज्यों के अंदर संसदीय क्षेत्र में भी मतदान प्रतिशत कहीं ठीक-ठाक है तो कहीं गिरा है। अगर दोनों चरणों की कुल 190 सीटों पर 2019 के मतदान प्रतिशत से तुलना करें तो यह मोटा मोटा दो प्रतिशत की गिरावट ही दिखाता है। दूसरे चरण में लगभग 68.49 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि 2019 में 70.05 प्रतिशत से ज्यादा हुआ था। त्रिपुरा में सर्वाधिक 79.66 प्रतिशत लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया तो मणिपुर में 78.78 प्रतिशत ने। असम में 2019 में 76.45 की जगह 77.35 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 75 प्रतिशत प्रतिशत की जगह 75.16 प्रतिशत, कर्नाटक में 68.21 की जगह 68.47 प्रतिशत, केरल में लगभग 80 प्रतिशत की जगह 70.21 प्रतिशत, बिहार में करीब 60 प्रतिशत की जगह 56.81 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 67.75 प्रतिशत की जगह 58.26 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 61.93 में 59.63 प्रतिशत, प. बंगाल में 80 प्रतिशत की जगह 73.78 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 62. 39 प्रतिशत की जगह 54.8 प्रतिशत मतदान हुआ। तो मध्यप्रदेश में 9 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 8 प्रतिशत से ज्यादा मतदान की गिरावट असाधारण है। निश्चित रूप से इन दो चरणों ने मतदान की प्रवृत्तियों का आकलन कठिन बना दिया है। तो क्या मायने हैं मतदान प्रतिशत की इन गिरावटों का? अभी तक 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। वर्तमान मतदान को देखते हुए तत्काल यह मानना होगा कि हमारे देश में 2019 ने रिकार्ड स्तर प्राप्त किया और तत्काल इससे आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है। जब एक बार कोई भी प्रवृत्ति ऊंचाई छूती है तो उसके बाद उसे नीचे आना ही पड़ता है। हालांकि राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा और जन जागरूकता को देखते हुए मतदान प्रतिशत में नि:संदेह वृद्धि होनी चाहिए थी। नहीं हुआ तो यह सभी राजनीतिक दलों, मीडिया के साथ सक्रिय नागरिकों के लिए ङ्क्षचता का विषय होना चाहिए और आगे के दौर में सभी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल कर मतदान करें, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट को देखकर ज्यादा निराश होने का कोई कारण नहीं हो सकता। नागालैंड में इसलिए मतदान प्रतिशत ज्यादा गिरा क्योंकि 6 जिलों में ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स फ्रंट (ई.एन.पी. ओ.) ने अलग राज्य की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। इन 6 जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चार लाख से अधिक मतदाता हैं। जब इतनी संख्या में मतदाता मत डालेंगे नहीं तो उसे गिरना ही है। इसे मतदान की प्रवृत्ति नहीं मान सकते। करीब डेढ़ दशक पहले मतदान घटने का अर्थ सत्तारूढ़ घटक की विजय तथा बढने का अर्थ पराजय के रूप में लिया जाता था और

प्राय: ऐसा देखा भी गया। किंतु 2010 के बाद प्रवृत्ति बदली है। मतदान बढने के बावजूद सरकारें वापस आई हैं और घटने के बावजूद गई हैं। पिछले 17 लोकसभा चुनावों के मतदान की प्रवृत्ति का आकलन करें तो 5 बार मतदान घटा है और 4 बार सरकार बदल गई और 7 बार मतदान बढ़ा तो उसमें 4 बार सरकारें बदल गईं। इसलिए इसके आधार पर कोई एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दूसरे, हर जगह मतदान प्रतिशत ज्यादा गिरा भी नहीं है। तीसरे, बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्षों के मतदाताओं में एक-दूसरे को हराने और जीताने की प्रतिस्पर्धा है। संदेशखाली से लेकर अन्य मामलों के कारण वहां ङ्क्षहदुओं के बड़े समूह के अंदर ममता बनर्जी को लेकर आक्रोश है।

सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है तो क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कुछ जगहों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है किंतु ज्यादातर में कमी आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में मतदान प्रतिशत घटना सामान्य स्थिति का परिचायक नहीं है। इस क्षेत्र को जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का विशेषण प्राप्त है। तो यह आकलन करना कठिन है कि जहां मतदान प्रतिशत गिरा वहां किनके मतदाता नहीं आए। पिछले चुनाव में भाजपा के लिए यह चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था तथा बसपा सपा ने उसे गंभीर चुनौती दी थी। अगर भाजपा विरोधी उसे हराना चाहते थे तो उन्हें भारी संख्या में निकलना चाहिए। कहा भी जा रहा है कि सपा के कोर मतदाता यानी मुसलमान और यादवों का बड़ा समूह आक्रामक होकर मतदान कर रहा था। कांग्रेस को भी इसका लाभ मिला होगा। किंतु विरोधी भारी संख्या में निकलेंगे तो समर्थक भी इसका ध्यान रखेंगे।

हालांकि उम्मीदवारों के चयन, दूसरे दलों से आए लोगों को महत्व मिलने तथा कहीं-कहीं,गठबंधन को लेकर भाजपा समर्थकों और कार्यकर्त्ताओं में थोड़ा असंतोष है तथा एक जाति विशेष ने भी विरोधात्मक रूप अख्तियार किया था। बावजूद यह कहना कठिन होगा कि भाजपा समर्थक मतदाता ही ज्यादा संख्या में नहीं निकले। समर्थक कार्यकर्त्ता थोड़ा असंतुष्ट हों तो इसका असर होता है किंतु विरोधी तेजी से हराने के लिए निकले और इसके बावजूद वह प्रतिक्रिया न दें इस पर विश्वास करना कठिन होता है। इस बात से इंकार करना कठिन है कि मतदाताओं की उदासीनता चुनाव में आरंभ से ही बनी हुई है। हालांकि विपक्ष के प्रचार के विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर आम जनता के अंदर कहीं व्यापक आक्रोश या भारी विरोधी रुझान बिल्कुल नहीं दिखा है। कल्याण कार्यक्रमों के लाभार्थी तथा विकास नीति की प्रशंसा करने वाले हर जगह दिखाई देते हैं। श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा से लेकर समान नागरिक संहिता एवं नागरिकता संशोधन कानून आदि पर विपक्ष के रवैये ने भाजपा के समर्थकों और मतदाताओं में प्रतिक्रिया भी पैदा की है। आम प्रतिक्रिया यही है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए। लोग अगर वोट डालते समय यह विचार करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है तो वह किसका समर्थन करेंगे? कार्यकर्त्ताओं, नेताओं और समर्थकों के एक समूह के असंतोष का कुछ असर हो सकता है। उन्होंने अगर काम नहीं किया या उनमें से कुछ ने मतदान से अपने को अलग रखा तो परिणाम पर इसके प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता। भाजपा नेतृत्व को इसका संज्ञान लेते हुए दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि जिनके अंदर असंतोष है उनमें भी यह भाव है कि अगर यह सरकार हार गई तो कहा जाएगा कि ङ्क्षहदुत्व विचारधारा की हार हो गई है। जिस जाति के विद्रोह की चर्चा हो रही है वहां भी लोगों के अंदर भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सहानुभूति का भाव दिखता है। इसलिए यह मानने में भी कठिनाई है कि इन्होंने बिल्कुल एक मस्त आक्रामक होकर भाजपा के विरोध में मतदान किया होगा। ऐसा होने का अर्थ मतदान बढना होना चाहिए। मतदान कम होने को भाजपा विरोधी संकेत मानना उचित नहीं होगा। मतदान प्रतिशत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के एक-दूसरे के विरुद्ध प्रखर वायुमंडल बनाने से ही बढ़ता है। सत्ता पक्ष अपने कार्यकर्त्ताओं, समर्थकों के साथ आम लोगों के एक समूह के अंदर यह संवेग पैदा कर दे कि हर हाल में उसी की सत्ता में वापसी उनके एवं देश के हित में है तथा विपक्ष के आने से अहित होगा तो लोग अपने आप बाहर निकलते हैं।

इसी तरह विपक्ष यदि अपने समर्थकों, कार्यकर्त्ताओं एवं गैर-दलीय मतदाताओं के अंदर यह भाव बिठा देगा कि यह सरकार आपके हितों के विरुद्ध काम कर रही है, इसका जाना ही आपके हित की रक्षा करेगा तो वह भी सरकार को हराने की मानसिकता में भारी संख्या में निकलेंगे। मतदान में गिरावट का अर्थ है कि या तो यह दोनों स्थिति नहीं बनी या कम बनी है या फिर इनमें से किसी एक में अवश्य कमी है।

घूँघट की बगावत

05 मई 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

लोकसभा चुनाव-2024

भ्रमित होते आम मतदाता किस पर करें विश्वास

भारत में एक समय ऐसा भी था जब राजनीति से आम जनमानस का विश्वास समाप्त होता जा रहा था। राजनीतिक दलों से जो अपेक्षा थी, सब जनता की इन अपेक्षाओं पर पानी फेरते दिखाई दे रहे थे। उस समय देश की यह अवधारणा बन गई थी कि अब भारत की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन 2014 के बाद देश ने एक नई राजनीति का साक्षात्कार किया। एक ऐसी राजनीति जिसमें सपने भी थे और एक उम्मीद भी थी। आज इस समय को दस वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। सपने पूरे हुए या नहीं, यह तो परीक्षण का विषय है, लेकिन आज की राजनीति बदली हुई दिखाई देती है, यह अवश्य ही कहा जा सकता है। लेकिन आज भी जिस प्रकार से सत्ता प्राप्त करने की लालसा लेकर राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, वह प्रथम दृष्टया यही परिलक्षित कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों के पास अपने कोई स्थायी सिद्धांत नहीं हैं।

विपक्ष के दल वर्तमान केंद्र सरकार को घेरने के लिए कई प्रकार के राजनीतिक दांव पेच खेल रहे हैं, वहीं सत्ता धारी दल भाजपा भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं कही जा सकती। इस प्रकार की राजनीति के चलते देश का आम जनमानस निश्चित रूप से भ्रम की अवस्था में है। सारे दल अन्य दलों से अपने आपको बेहतर बताने की राजनीति कर रहा है। इसके लिए कुछ राजनीतिक दल अपने हिसाब से तर्क भी दे रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस बार विपक्षी दलों के राजनेता सधे हुए कदमों से अपनी पारी को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से चोर कहने का दुस्साहस किया गया, उससे कांग्रेस की फजीहत हो गई थी, इतना ही नहीं राहुल गाँधी को माफी भी मांगनी पड़ी। इस बार परिदृश्य बदला हुआ है। विपक्ष के नेता सरकार को लक्ष्य करके आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन आलोचनाओं में भी वह धार नहीं है कि वह अकेले दम पर सरकार बनाने का सामर्थ्य पैदा कर सकें। वर्तमान लोकसभा के प्रचार में विपक्षी दलों की ओर से जिस प्रकार की सक्रियता दिखाई जा रही है, उससे कमोवेश ऐसा ही लगता है कि विपक्ष ने इस चुनाव को आरपार की लड़ाई बना दिया है। यह सभी जानते हैं कि मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी लम्बे समय तक सत्ता का सुख भोगा है,

इसलिए यह कहा जाना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस के नेताओं को सत्ता में बने रहने की आदत सी हो गई है। उनके बयानों में भी सत्ता प्राप्त करने की तड़प दिखाई देती है। यही तड़प चुनावी बयानों में पैनापन ला रही है। देश में अब दो चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, बचे हुए पांच चरणों के मतदान के लिए जोर आजमाईश की जा रही है। चुनावी रैलियों में राजनेताओं के बयानों की व्याख्या निकालने का क्रम भी चल रहा है। किसी बड़े मुद्दे पर समाचार चौनलों पर बहस भी होती है। इन बहस में सभी नेता अपने हिसाब से अर्थ निकाल कर बहस करते हैं। कोई किसी के कम नहीं दिखता, लेकिन इन बहस में लगभग विवाद जैसी स्थिति बनती दिखाई देती है। एक दूसरे से लड़ने की मुद्रा में आने वाले यह राजनेता शायद इस बात को भूल जाते हैं कि इसे जनता भी देख रही है और आज की जनता यह भी जानती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसके बाद भी आम समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इन चर्चाओं को सुनकर भ्रमित भी होते होंगे।

राजनेताओं द्वारा दावे के साथ कही जाने वाली किस बात को जनता सही माने, आज यह सबसे बड़ी चिंता है। चौनलों पर जो बहस होती है, उसमें अपनी पार्टी के विचार को कम रखा जाता है, सामने वाले की बात को जोरदार तरीके से नकारने की ही राजनीति की जाती है। विपक्षी नेताओं को इन्हीं बहसों के दौरान एंकरों पर दबाव बनाते हुए भी देखा और सुना जा सकता है। यह बहस का सारा खेल जनता को गुमराह करने वाला होता है। इसमें पूरी तरह से आम जन के मुद्दों का अभाव ही रहता है। इस कारण यह आसानी से कहा जा सकता है कि आज की राजनीति केवल विरोध करने तक ही सीमित हो गई है, इसमें रचनात्मक विरोध समाप्त होता जा रहा है। रचनात्मक विरोध का आशय यही है कि सामने वाले के अच्छे कार्यों का समर्थन भी किया जाए। लेकिन आज की राजनीति में ऐसा होना असंभव सा ही लगता है। ऐसा पिछले दस वर्षों में कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है तो विपक्ष की ओर से कोई खास मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। जिस महंगाई और बेरोजगारी को विपक्ष मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहा है, वह कोई नया नहीं है। यह दोनों ही मुद्दे लगभग हर चुनाव में उठे हैं, और हो सकता है आगे भी उठते रहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा तभी तक होता है जब तक व्यक्ति केवल नौकरी की तलाश में बैठा रहता है। सरकार सबको नौकरी दे भी नहीं सकती, फिर चाहे कोई भी सरकार क्यों न हो। हाँ इस चुनाव में पिछली बार की तरह हिंदुत्व का मुद्दा भी सामने आया है। हिंदुत्व राजनीति का विषय नहीं हो सकता, यह तो असली भारत की आत्मा है। यह बात सही है कि आज की राजनीति और दस वर्ष पहले की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, उसका अंदाज निराला है, वहीं कांग्रेस के नेताओं के बयानों से लगता है कि वे ही शासन करने के लिए आए हैं, जबकि उनको यह मालूम होना चाहिए कि वह विपक्षी की भूमिका में हैं। इसके अनुसार ही उनके कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन कभी कभी विपक्षी नेताओं का व्यवहार ऐसा होता है, जैसे वे सरकार से बड़े हैं। विपक्ष की इसे एक बड़ी कमजोरी माना जा सकता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने सत्ता पर कब्जा नहीं किया, बल्कि लोकतान्त्रिक तरीके से चुनकर आई है।

विरोधी पक्ष को यह भी समझना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र तभी तक जीवित है, जब तक जनता की राय को महत्व दिया जाएगा। जनता के सही बात रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं आना चाहिए जिससे जनता भ्रमित हो। अन्यथा यह लोकतंत्र की भी हार होगी।

आखिर क्यों धधक रही है पृथ्वी

न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी तथा मौसम का निरन्तर बिगड़ता मिजाज गंभीर चिंता का सबब बना है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विगत वर्षों में दुनियाभर में दोहा, कोपेनहेगन, कानकुन इत्यादि बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते रहे हैं किन्तु उसके बावजूद इस दिशा में अभी तक ठोस कदम उठते नहीं देखे गए हैं। दरअसल वास्तविकता यही है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रकृति के बिगड़ते मिजाज को लेकर चर्चाएं और चिंताएं तो बहुत होती हैं, तरह-तरह के संकल्प भी दोहराये जाते हैं किन्तु सुख-संसाधनों की अंधी चाहत, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, अनियंत्रित औद्योगिक विकास और रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने के दबाव के चलते इस तरह की चर्चाएं और चिंताएं अर्थहीन होकर रह जाती हैं। प्रकृति पिछले कुछ वर्षों से बार-बार भयानक आंधियों, तूफान और ओलावृष्टि के रूप में यह गंभीर संकेत दे रही है कि विकास के नाम पर हम प्रकृति से भयानक तरीके से जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप मौसम का मिजाज कब कहां किस कदर बदल जाए, कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनियाभर में मौसम का मिजाज किस कदर बदल रहा है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव के तापमान में एक-दो नहीं बल्कि बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। मौसम की प्रतिकूलता साल दर साल किस कदर बढ़ती जा रही है, यह इसी से समझा जा सकता है कि कहीं भयानक सूखा तो कहीं बेमौसम अत्यधिक वर्षा, कहीं जबरदस्त बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड, कभी-कभार ठंड में गर्मी का अहसास तो कहीं तूफान और कहीं भयानक प्राकृतिक आपदाएं, ये सब प्रकृति के साथ हमारे खिलवाड़ के ही दुष्परिणाम हैं और हमें यह सचेत करने के लिए पर्याप्त हैं कि अगर हम इसी प्रकार प्रकृति के संसाधनों का बुरे तरीके से दोहन करते रहे तो हमारे भविष्य की तस्वीर कैसी होने वाली है। हालांकि प्रकृति कभी समुद्री तूफान तो कभी भूकम्प, कभी सूखा तो कभी अकाल के रूप में अपना विकराल रूप दिखाकर हमें चेतावनी भी देती रही है किन्तु जलवायु परिवर्तन से निपटने के नाम पर वैश्विक चिंता व्यक्त करने से आगे हम शायद कुछ करना ही नहीं चाहते। हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के अनुसार हम यह समझना ही नहीं चाहते कि पहाड़ों

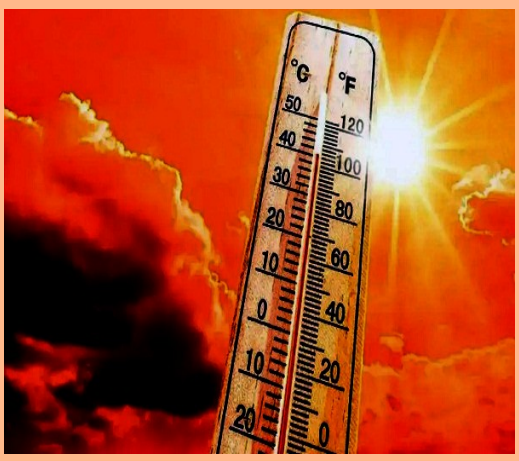

का सीना चीरकर हरे-भरे जंगलों को तबाह कर हम जो कंक्रीट के जंगल विकसित कर रहे हैं, वह वास्तव में विकास नहीं बल्कि विकास के नाम पर हम अपने विनाश का ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पहाड़ों में बढ़ती गर्माहट के चलते हमें अक्सर घने वनों में भयानक आग लगने की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। पहाड़ों की इसी गर्माहट का सीधा असर निचले मैदानी इलाकों पर पड़ता है, जहां का पारा अब हर वर्ष बढ़ता जा रहा है।

धरती का तापमान यदि इसी प्रकार साल दर साल बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में हमें इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा क्योंकि हमें यह बखूबी समझ लेना होगा कि जो प्रकृति हमें उपहार स्वरूप शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी तथा ढ़ेरों जनोपयोगी चीजें दे रही है, अगर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पैदा किए जा रहे पर्यावरण संकट के चलते प्रकृति कुपित होती है तो उसे सब कुछ नष्ट कर डालने में पल भर की भी देर नहीं लगेगी। करीब दो दशक पहले देश के कई राज्यों में जहां अप्रैल माह में अधिकतम तापमान औसतन 32-33 डिग्री रहता था, अब वह 40 के पार रहने लगा है। मौसम विभाग का तो अनुमान है कि अगले तीन दशकों में इन राज्यों में तापमान में वृद्धि 5 डिग्री तक दर्ज की जा सकती है और इसी प्रकार तापमान बढ़ता रहा तो एक ओर जहां जंगलों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, वहीं धरती का करीब 20-30 प्रतिशत हिस्सा सूखे की चपेट में आ जाएगा तथा एक चौथाई हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा, जिसके दायरे में भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, दक्षिण आस्ट्रेलिया, दक्षिण यूरोप इत्यादि आएंगे।

सवाल यह है कि धरती का तापमान बढ़ते जाने के प्रमुख कारण क्या हैं? 'प्रदूषण मुक्त सांसें' पुस्तक के मुताबिक इसका सबसे अहम कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो तमाम तरह की सुख-सुविधाएं व संसाधन जुटाने के लिए किए जाने वाले मानवीय क्रियाकलापों की ही देन है। पैट्रोल, डीजल से उत्पन्न होने वाले धुएं ने वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वातावरण में पहले की अपेक्षा 30 फीसदी ज्यादा कार्बन डाईऑक्साइड मौजूद है, जिसकी मौसम का मिजाज बिगाड़ने में अहम भूमिका है। पेड़-पौधे कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दशकों में वन-क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील किया जाता रहा है। एक और अहम कारण है बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि। जहां 20वीं सदी में वैश्विक जनसंख्या करीब 1.7 अरब थी, अब बढ़कर 8 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि धरती का क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, इसलिए कई गुना बढ़ी आबादी के रहने और उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया जा रहा है, इससे पर्यावरण की सेहत पर जो जबरदस्त प्रहार हुआ है, उसी का परिणाम है कि धरती बुरी तरह धधक रही है। ब्रिटेन के प्रख्यात भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग की इस टिप्पणी को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि यदि मानव जाति की जनसंख्या इसी कदर बढ़ती रही और ऊर्जा की खपत दिन-प्रतिदिन इसी प्रकार होती रही तो करीब 600 वर्षों बाद पृथ्वी आग का गोला बनकर रह जाएगी। धरती का तापमान बढ़ते जाने का ही दुष्परिणाम है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्रों का जलस्तर बढ़ने के कारण दुनिया के कई शहरों के जलमग्न होने की आशंका जताई जाने लगी है। बहरहाल, अगर प्रकृति से खिलवाड़ कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर हम स्वयं इन समस्याओं का कारण बने हैं और हम वाकई गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर चिंतित हैं तो इन समस्याओं का निवारण भी हमें ही करना होगा ताकि हम प्रकृपि के प्रकोप का भाजन होने से बच सकें अन्यथा प्रकृति से जिस बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है, उसका खामियाजा समस्त मानव जाति को अपने विनाश से चुकाना पड़ेगा।

घूँघट की बगावत
(हिन्दी साप्ताहिक)
द्वारा जनहित में जारी

प्रिय पाठकों,

इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, कथा–लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की विशेषता होती है।

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट भी समय–समय पर कराते रहें ताकि उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

विवाद की स्थिति में न्यायालय, गोर खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

–व्यवस्थापक

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक–पंकज धर द्विवेदी सम्पर्क सूत्र– e-mail- ghoonghatkibagawat37@gmail.com